would like to bring to the notice of this House and the Government the problem of pollution in Delhi and other cities. The World Health Organisation Report states that about 23 cities in India were highly polluted cities. Pollution is giving rise to increased instances of chest diseases and other diseases. The incidence of chest disease in Delhi in much more when compared to other cities in the country. We also have water-borne diseases. All this is affecting the health of the people, especially the poorer sections of our society. They have to incur a huge medical expense. So, this is a very serious matter. There is an argument that the present law is not practical. If we were to implement the provisions of the present law, development would not be possible. If the law is deficient, let us amend it. We require unpolluted air and clean water. There were complaints about the mechanism for implementing these laws. Let us revamp the entire mechanism. The Government should educate the people. It should take steps to protect the environment from pollution.

Thank you.

Non-getting of Residential Accommodation in Bangalore by the widow of an Ex-president of India

डा० वाई० लक्ष्मी प्रसाद (आन्ध्र प्रदेश): धन्यवाद उपसभापति महोदया, मैं एक विशेष विषय की ओर इस सदन का और सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। केवल आकर्षित ही नहीं करना चाहता बल्कि इसको हल करने में आपकी सहायता भी चाहता हूं। एक भद्र वृद्ध महिला, एक विधवा बीमार महिला के प्रति हमारी सरकार का उदासीन व्यवहार बहुत ही दुखमय है और वह और कोई नहीं हैं, हमारे भूतपूर्व राष्ट्रपति डा० नीलम संजीव रेड्डी की विधवा श्रीमती नागरतनम्मा जी हैं। डा० नीलम संजीव रेड्डी के मरने के बाद यहां से बहुत से लोग उनके अंतिम संस्कार में भाग लेने के लिए हवाई जहाज पर वहां गये और आंसू पोंछकर आए हैं लेकिन बंगलौर में कर्नाटक सरकार ने जो आवास संजीव रेड्डी जी को दिया था, उनके मरने के पश्चात् उस आवास को और सभी सुविधाओं को वापिस ले लिया है और उस विधवा नारी को दुखी हो बीमार होते हुए भी अनंतपुर जाना पड़ा है। महोदया, वर्तमान नियमों के अनुसार भूतपूर्व राष्ट्रपति के मरने के पश्चात् उनकी पत्नी आजीवन सरकारी आवास में रहने की हकदार है। स्वर्गीय संजीव रेड्डी की पत्नी श्रीमती नागरतनम्मा जी को केन्द्रीय आवास मंत्रालय को सूचित किया है कि कर्नाटक सरकार उनको बंगलौर में आवास देने में असमर्थ है इस कारण से उन्हें अनंतपुर शहर जाने के लिए विवश होना पड़ रहा है। अतः मैं आपके माध्यम से सरकार से निवेदन करता हूं कि सरकार इस मामले में तत्काल कार्यवाही करे और हमारे भूतपूर्व राष्ट्रपति की विधवा श्रीमती नागरतनम्मा जी को बंगलौर में सरकारी आवास प्रदान करे। यदि कर्नाटक सरकार के पास उपयुक्त आवास उपलब्ध नहीं है तो विकल्प के तौर पर किसी निजी आवास को किराए पर लेकर उनको बंगलौर में ही आवास उपलब्ध कराया जाए। आशा है कि इस मामले में सरकार उचित कार्यवाही करेगी। धन्यवाद।

श्री त्रिलोकी नाथ चतुर्वेदी (उत्तर प्रदेश): महोदया, इस संबंध में वह आपका समर्थन चाहते हैं।

उपसभापति: मेरा समर्थन उनके साथ है। सरकार को ध्यान देना चाहिए। स्वर्गीय संजीव रेड्डी की पत्नी को घर देना चाहिए। इसमें कोई दो राय नहीं हो सकती और मैंने इस संबंध में डायरैक्शन दिया है।

The Minister will take care of it. He will see to it that the widows of former Presidents of India get accommodation. If we have provided for all the widows of other Presidents of India, why not for Shri Neelam Sanjeeva Ready's wife? She should not be subjected to inconvenience.

Plight of Bidi workers of U.P., Bihar and West Bengal

मोहम्मद आज़म खान (उत्तर प्रदेश): उपसभापति महोदया, मुझे इस खास मुद्दे पर बोलने की इजाजत आपने दी है, आमतौर पर भी मैं शुक्रिया अदा करता हूं और खासतौर पर इसलिए कि आज एक ऐसा मामला मैं सदन के सामने रख रहा हूं और सरकार के लिए भी, जो बहुत ही निचले वर्ग से और समाज के उपेक्षित वर्ग से जुड़ा हुआ है। यह ऐसा मामला है जिसे हम कहें कि गरीब का कोई धर्म नहीं होता, मुफलिसी का कोई ईमान नहीं होता, सबके बराबर के धर्म और बराबर के मजहब हैं। हमारे हिन्दुस्तान के तीन सूबों में, बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश का भी एक बड़ा हिस्सा ऐसा है जहां बीड़ी का काम करने वाले मजदूर जिस बुरी जिंदगी से गुजर रहे हैं, उसका अहसास वह लोग नहीं

6748/RS/13B